पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 147/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सुशीला पुत्री अमरचन्द पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी गदरा हाल छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सुमन पुत्री अमरचन्द पत्नी पूनमचन्द जाति जाट निवासी गदरा हाल रामसरा टिब्बा तहसील राजगढ जिला चूरू।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम गदरा के खाता सं0 89/85 के खसरा सं0 83/2 की 2.529 है0 बारानी कृषि भूमि और गांव ढाका के खाता सं0 87/74 के खसरा सं0 80 की 1.796 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सो पर पंजीयन विभाग को देय पजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 147/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुशीला पुत्री अमरचन्द पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी गदरा हाल छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्री अमरचन्द पत्नी पूनमचन्द जाति जाट निवासी गदरा हाल रामसरा टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय दिनांक : 31-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गदरा के खाता सं0 89/85 के खसरा सं0 83/2 की 2.529 है0 बारानी कृषि भूमि और गांव ढाका के खाता सं0 87/74 के खसरा सं0 80 की 1.796 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द को वादी के दादा रामलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है इसलिए वादी और प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक का वाद भूमि में 1/5 हक व हिस्सा है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान मे पारिवारिक समझौता हो गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को वाद भूमि में से 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सा प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादिया सं0 3 व 4 वादी की बहने है जो शादीशुदा है जिन्होने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तरदीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गदरा के खाता सं0 89/85 सम्वत् 2073–75 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम ढाका के खाता सं0 87/74 सम्वत् 2073–75 की प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान् अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम गदरा व ढाका के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हको की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपना पिता से विरासतन प्राप्त हुई है तथा वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार मुताबिक पारिवारिक सैटलमेंट के प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द 1/5 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 दोनों 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गदरा के खाता सं0 89/85 सम्वत् 2073–75 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम ढाका के खाता सं0 87/74 सम्वत् 2073–75 की प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है जिसमें पूर्व की प्रविष्टियों में वाद भूमि वादी के दादा रामलाल वल्द नत्थुराम के नाम दर्ज है तथा इसके बाद की प्रविष्टि ई.न. 332 व ई.नं. 400 से अमरसिंह व रामलाल के अन्य वारिसान के नाम कृषि भूमि विरासतन दर्ज हुई है। जिससे वाद भूमि वादी के पिता को विरासतन प्राप्त होना व दादालाई कृषि भूमि होना साबित है व राजीनामा में पक्षकारान ने पारिवारिक समझौता के तथ्यों को स्वीकार किया है व प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपने हिस्सों को त्याग किये जाने की पुष्टि की है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में अमरचन्द के वारिसान मे पत्नी नारायणी, दो पुत्र सुरेश व विनोद एवं दो पुत्रियां सुशीला व सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम गदरा के खाता सं0 89/85 के खसरा सं0 83/2 की 2.529 है0 बारानी कृषि भूमि और गांव ढाका के खाता सं0 87/74 के खसरा सं0 80 की 1.796 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner